"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 359] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2009—अग्रहायण 25, शक 1931

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2009

आदेश

क्रमांक: एफ/134/रानिआ/न. पा./समय कार्यक्रम/09/2561.— प्रदेश के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2009 के लिए छ. ग. नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 के तहत समय अनुसूची छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक: एफ/134/रानिआ/न. पा./समय अनुसूची/09/2080 रायपुर, दिनांक 27-11-09 से जारी किया गया है. जिसमें समस्त नगरीय निकायों के लिए यदि आवश्यक हुआ तो मतदान का समय प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक नियत किया गया है.

2. छ. ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 एवं छ.ग. नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11-क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित नगरीय निकायों के लिए मतदान के समय में आंशिक संशोधन करते हुए प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे के स्थान पर प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक नियत किया जाता है.

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)	मतदान हेतु संशोधित समय (4)
1.	बीजापुर	नगर पंचायत बीजापुर	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	दंतेवाड़ा	नगर पंचायत दोरनापाल	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		नगर पंचायत बारसूर	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	कांकेर	नगर पंचायत पखांजूर	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
		नगर पंचायत अंतागढ़	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक

3. मतदान के लिए संशोधित समय (कालावधि) का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए एवं आदेश की एक प्रति समस्त अभ्यर्थियों को व्यक्तिशः तामिली कराया जाए.

डी. डी. सिंह,
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.